राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी : श्री पंकज बडगूजर (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या	तारीख रजू	निर्णय दिनांक
2869/2015 (179/2012)	30.04.2015 (23.07.2012)	09.12.2023

उनवान

1. विक्रम सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कोलीला जोगा तहसील नीमराना हाल निवासी 111 शांति कुंज स्कीम, अलवर (राज०)।

वादी।

बनाम

1. विजय सिंह पुत्र श्री गोकुल सिंह जाति राजपूत निवासी कोलीला जोगा तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज०।
2. प्रताप सिंह पुत्र श्री गोकुल सिंह जाति राजपूत निवासी कोलीला जोगा तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज०। .... मृतक

2/1 किरण देवी बेवा प्रताप सिंह जाति राजपूत निवासी कोलीला जोगा तहसील नीमराना हाल निवासी जोहडा मौहल्ला पटेल नगर अलवर राज०।

2/2 हर्ष चौहान पुत्र स्व० श्री प्रताप सिंह जाति राजपूत निवासी कोलीला जोगा तहसील नीमराना हाल निवासी जोहडा मौहल्ला पटेल नगर अलवर राज०।

2/3 वंश पुत्र स्व० श्री प्रताप सिंह जाति राजपूत निवासी कोलीला जोगा तहसील नीमराना हाल निवासी जोहडा मौहल्ला पटेल नगर अलवर राज०।

2/4 नेहा चौहान पुत्री स्व० श्री प्रताप सिंह जाति राजपूत निवासी कोलीला जोगा तहसील नीमराना हाल निवासी जोहडा मौहल्ला पटेल नगर अलवर राज०। पत्नी श्री हेमन्तसिंह नरूका हाल निवासी खोरा मलावली तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राज०।

2/5 टीना चौहान पुत्री स्व० श्री प्रताप सिंह जाति राजपूत निवासी कोलीला जोगा तहसील नीमराना हाल निवासी जोहडा मौहल्ला पटेल नगर अलवर राज०। (जायज वारिसान मृतक प्रतिवादी संख्या 2)

3. शक्ति सिंह पुत्र गोकुल सिंह जाति राजपूत निवासी कोलीला जोगा तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज०।
4. आशा पुत्री गोकुल सिंह जाति राजपूत निवासी कोलीला जोगा तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज०।
5. संजय सिंह पुत्र श्री निरंजन सिंह जाति राजपूत निवासी कोलीला जोगा तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज०। हाल निवासी सी–91 ब्लॉक बी, जीनियस पब्लिक स्कूल के पास, मदर टेरेसा नगर मालवीय नगर जयपुर राज०।
6. श्रीमती शीला कंवर पत्नी श्री निरंजन सिंह जाति राजपूत निवासी कोलीला जोगा तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज०। ....मृतका
7. सीमा पुत्री श्री निरंजन सिंह जाति राजपूत निवासी कोलीला जोगा तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज०। पत्नी श्री भैरू सिंह शेखावत निवासी प्लॉट नं. 9, श्याम विहार कॉलोनी, सैयद की मोरी के पास, मालवीय नगर, जयपुर राज०।
8. श्रीमती सुमन कंवर पत्नी स्व० श्री सुनीलसिंह जाति राजपूत निवासी कोलीला जोगा जीनियस पब्लिक स्कूल के पास, मदर टेरेसा नगर मालवीय नगर जयपुर राज०।

9. अनूप सिंह चौहान पुत्र स्व. श्री सुनीलसिंह जाति राजपूत निवासी कोलीला जोगा जीनियस पब्लिक स्कूल के पास, मदर टेरेसा नगर मालवीय नगर जयपुर राज०।

10. तनू चौहान पुत्री स्व. श्री सुनीलसिंह जाति राजपूत निवासी कोलीला जोगा जीनियस पब्लिक स्कूल के पास, मदर टेरेसा नगर मालवीय नगर जयपुर राज०।

11. गुलाब बाई पुत्री नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी कोलीला जोगा तहसील नीमराना जिला क़ोटपूतली–बहरोड राज०। ....मृतका

/1 भंवर सिंह पुत्र स्व० गुलाब बाई पत्नी श्री पृथ्वी सिंह जाति राजपूत निवासी कोलीलाजोगा तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज०।

/2 किशोर सिंह पुत्र स्व० गुलाब बाई पत्नी श्री पृथ्वी सिंह जाति राजपूत निवासी कोलीलाजोगा तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज०।

/3 दातार सिंह पुत्र स्व० गुलाब बाई पत्नी श्री पृथ्वी सिंह जाति राजपूत निवासी कोलीला जोगा तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज०। (जायज वारिसान मृतक प्रतिवादीं संख्या 11)

12. शकुन्तला बाई पुत्री श्री नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी कोलीला जोगा तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज०।

13. पान कंवर पुत्री श्री नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी कोलीला जोगा तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज०।

14. रतनेश कंवर पुत्री श्री नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी कोलीला जोगा तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज०।

15. रणजीत सिंह पुत्र स्व० श्री रघुवीर सिंह जाति राजपूत निवासी कोलीला जोगा तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज०। हाल निवासी प्लॉट नं. 7, स्कीम नम्बर 8, गांधीनगर अलवर राज०।

16. सरजीत सिंह पुत्र स्व० श्री रघुवीर सिंह जाति राजपूत निवासी कोलीला जोगा तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज०। हाल निवासी प्लॉट नं. 7, स्कीम नम्बर 8, गांधीनगर अलवर राज०।

17. अजीत सिंह पुत्र स्व० श्री रघुवीर सिंह जाति राजपूत निवासी कोलीला जोगा तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज०। हाल निवासी प्लॉट नं. 7, स्कीम नम्बर 8, गांधीनगर अलवर राज०।

18. देववती पत्नी स्व० श्री रघुवीर सिंह जाति राजपूत निवासी कोलीला जोगा तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज०। हाल निवासी प्लॉट नं. 7, स्कीम नम्बर 8, गांधीनगर अलवर राज०।

19. प्रेमबाई पुत्री स्व० श्री रघुवीर सिंह जाति राजपूत निवासी कोलीला जोगा तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज०।

20. राजबाई पुत्री स्व० श्री रघुवीर सिंह जाति राजपूत निवासी कोलीला जोगा तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज०।

21. उषा बाई पुत्री स्व० रघुवीर सिंह जाति राजपूत निवासी कोलीला जोगा तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज०।

22. भागीरथ सिंह पुत्र स्व० ओमप्रकाश जाति राजपूत निवासी कोलीला जोगा तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज०।

23. श्रीमती नीलम कंवर पत्नी स्व० ओमप्रकाश जाति राजपूत निवासी कोलीला जोगा तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज०।

...वण्ड अधिकारी
...ना (कोटपूतली–...

24. मधु पुत्री स्व० ओमप्रकाश जाति राजपूत निवासी कोलीला जोगा तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज०।
25. उप पंजीयक नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड।
26. क्षेत्रीय प्रबन्धक रीको ई.पी.आई.पी. नीमराना तहसील नीमराना
27. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार, नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड।

प्रतिवादीगण।

दावा इस्तकरार हक व हुक्म ईम्तनाई व तकसीम आराजी
अन्तर्गत धारा 88, 188, 189, 53 आर.टी.एक्ट।

उपस्थिति :–

1. श्री मकरध्वज शर्मा अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
2. श्री मनीष यादव अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से।

|| निर्णय ||

वादी द्वारा पेश दावा के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 1015 रकबा 29 एयर, 833 रकबा 41 एयर, 712 रकबा 12 एयर, 713 रकबा 21 एयर, 716 रकबा 06 एयर, 717 रकबा 13 एयर, 718 रकबा 05 एयर, 719 रकबा 11 एयर, 691 रकबा 21 एयर 538 रकबा 07 एयर, 537 रकबा 06 एयर, 155 रकबा 36 एयर, 638 रकबा 26 एयर, 710 रकबा 23 एयर, 728 रकबा 25 एयर, 539 रकबा 05 एयर, 72 रकबा 65 एयर, 786 रकबा 39 एयर, 1013 रकबा 98 एयर, 1013/1123 रकबा 20 एयर, 1014 रकबा 22 एयर, 1112 रकबा 20 एयर, 785 रकबा 27 एयर, 783 रकबा 03 एयर, 785/1128 रकबा 30 एयर वाके ग्राम कोलीला जोगा तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड में स्थित है। जो आराजी मिन वादी की दादालाई हक आराजी है, जो मिन वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 24 को हमारे पिता नारायण सिंह जी की मृत्यु के बाद उनकी विरासत से प्राप्त हुई है। मिन वादी आराजी मुतनाजा में अपने लीगल हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहा हूँ। आराजी मुतनाजा का विधिवत रूप से बंटवारा नहीं हुआ है लेकिन काश्त की सुविधा से खसरा नम्बर 1013, 1014, 1112, 1013/1123 वाके ग्राम कोलीला जोगा मिन वादी के हिस्से में आये हुए है जिन पर मिन वादी काबिज रहकर काश्त कर रहा हूँ तथा शेष भूमि प्रतिवादीगण के हिस्से में आयी हुई है। जिस पर प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्सेनुसार मौके पर काबिज रहकर काश्त कर रहे है। लेकिन प्रतिवादीगण तेज व चालाक किस्म के व्यक्ति है, जिन्होंने आपस में मिलकर व राजस्व कर्मचारियों के साथ मिलकर बाला–बाला बिना मिन वादी की सहमति एवं जानकारी में खसरा नम्बर हाल 1013 रकबा 98 एयर स्व० गोकुल सिंह के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के नाम व खसरा नम्बर 1013/1123, 1014, 1112 निरंजन सिंह के वारिसान प्रतिवादी संख्या 5 जगायत 10 के नाम से एवं खसरा नम्बर 785 रकबा 27 एयर, 783 रकबा 03 एयर प्रतिवादी संख्या 22 लगायत 24 के पिता ओमप्रकाश सिंह के नाम व खसरा नम्बर 785/1128 रकबा 30 एयर प्रतिवादी संख्या 15 लगायत 21 के पिता रघुवीर सिंह के नाम दर्ज करवा लिये गये व मिन वादी को मेरे अधिकारों से वंचित रख दिया गया है, जबकि मिन वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार व खानदान एवं मृतक नारायण सिंह के विधिक वारिसान है। नारायण सिंह के सात पुत्र क्रमशः रघुवीर सिंह, भगवान सिंह, धारू सिंह, गोकुल सिंह, विक्रम सिंह, ओमप्रकाश सिंह व निरंजन सिंह तथा चार पुत्रियां क्रमशः गुलाब बाई, शकुन्तला बाई, पान बाई, [illegible] बाई सहित कुल 11 संतान पैदा हुई जिनमें से पुत्र भगवान सिंह गोद चला गया एवं पुत्र [illegible] लापता फौत हो गया इसलिये नारायण सिंह के कुल 9 विधिक वारिसान शेष रह गये [illegible] वारिसानों द्वारा मृतक नारायण सिंह से प्राप्त आराजी मुतनाजा पर अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज हो गये थे। जिसके मुताबिक मिन वादी अपने हिस्से में आयी आराजी पर काबिज

र काश्त करता रहा। अब मिन वादी के हिस्से के हिस्से के खसरा नम्बर 1013, 1014, 1112, 3/1123 को रीको लिमिटेड द्वारा औद्योगिक प्रयोजन हेतु वर्ष 2010–11 में अवाप्त कर ली गई आराजी मिन वादी के कब्जे से भी अवाप्त की गई है। मिन वादी उक्त खसरा नम्बरान पर पसी बंटवारा के मुताबिक काबिज रहकर शांतिपूर्वक काश्त करता चला आ रहा था, इसलिये जस्व रिकॉर्ड के परिवर्तन की मिन वादी को जानकारी नहीं थी। जब रीको लिमिटेड नीमराना रा उक्त अवाप्त शुदा भूमि के मुआवजा राशि के नोटिस जारी किये गये तो नोटिस मिन वादी के म से नहीं आये बल्कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 के नाम से नोटिस आये, तब मिन वादी रा रीको कार्यालय नीमराना में जाकर इसकी जानकारी की गई तो मिन वादी को बताया गया इस भूमि में आपका नाम नहीं है। जिनकी खातेदारी में यह भूमि है उनको ही नोटिस जारी ये गये है और उनको ही उक्त अवाप्त भूमि की मुआवजा राशि का भुगतान किया जावेगा। इस मिन वादी द्वारा आराजी मुतनाजा का हाल व साबिक रिकॉर्ड की नकलें प्राप्त की गई तब पता ला कि प्रतिवादीगण द्वारा आपस में मिलीभगत कर मिन वादी को मेरे हिस्से से वंचित रखते हुए न वादी के हिस्से की भूमि को राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर अपने नाम करवा ली गई। त पर मिन वादी, प्रतिवादीगण से मिला एवं उनको इस बाबत कहा कि यह भूमि तो पिताजी रा किये गये बंटवारे में मेरे हिस्से में भी आयी हुई है एवं मेरे कब्जे से भी रीको द्वारा अवाप्त की है। इस भूमि का मुआवजा मुझे भी प्राप्त होना चाहिए आपने इस भूमि को अपने नाम से कैसे रवा लिया, तो प्रतिवादीगण ने कहा कि यह भूमि हमारे खातेदारी में दर्ज है जिसकी मुआवजा शि हम ही प्राप्त करेगें तुझे कोई मुआवजा राशि नहीं देगें। आराजी मुतनाजा में जो भूमि मिन दी के हिस्से में आयी हुई थी जिसको रीको द्वारा औद्योगिक प्रयोजन हेतु अवाप्त कर लिया गया । उसको प्रतिवादीगण द्वारा मिलीभगत कर अपने नाम करवा लिया गया और मिन वादी को मेरे धिकारों से वंचित रख दिया गया और अब प्रतिवादीगण रीको से मुआवजा राशि भी स्वयं ही ठाना चाहते है। जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। ऐसी रत में आराजी खसरा नम्बर हाल 1013, 1014, 1112, 1013/1123 वाके ग्राम कोलीला जोगा । बाहमी (आपसी) बंटवारा के मुताबिक मालिक मिन वादी को माना जाकर उक्त खसरा नम्बरान मुआवजा राशि का भुगतान मिन वादी को किये जाने की घोषणा फरमायी जावे एवं अन्य राजी मौके पर कब्जा के अनुसार प्रतिवादीगण के नाम कर दी जावे तथा प्रतिवादीगण को बन्द किया जावे कि वो गलत इन्द्राज के आधार पर खसरा नम्बर 1013, 1014, 1112, 013/1123 वाके ग्राम कोलीला जोगा का मुआवजा राशि रीको से नहीं उठावें व मौका रिकॉर्ड की यथास्थिति बनायी रखे।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 बाद तामील जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर वादी के वाद पत्र के सभी तथ्यों को गलत बताते हुए जवाब पेश किया गया कि वादी ने दावा गलत तथ्यों के आधार र पेश किया गया है। दावा में वर्णित आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 24 को नारायण सिंह की विरासत के जरिये प्राप्त नहीं हुई है। बल्कि सही तथ्य यह है कि हम प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के पिता गोकुल सिंह भारतीय सेना में थे इसलिये इनको राज्य सरकार द्वारा दिनांक 02.10.1975 को खसरा नम्बर 779/708 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा भूमि कृषि हेतु आंवटित की गई थी जिसका खसरा नम्बर 1013 रकबा 98 एयर है तथा निरजंन सिंह को दिनांक 02.10.1975 को खसरा नम्बर 779/708 मिन रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा भूमि आंवटित की गई जिसके नये खसरा नम्बर 1014 रकबा 22 एयर, 1112 रकबा 20 एयर, 1013/1123 रकबा 20 एयर है। इस प्रकार उक्त आराजी पैतृक आराजी नहीं है बल्कि हम प्रतिवादीगण के बुजुर्ग गोकुल सिंह व निरंजन सिंह के पैदा कर्दा जायदाद है। शेष आराजी जो हमारे बुजुर्ग नारायण सिंह जी की विरासत से प्राप्त हुई है, उसमें उनके सभी वारिसान अपने–अपने हिस्से पर काविज है। लेकिन वादी द्वारा सम्पूर्ण आराजी को पैतृक विरासत बताते हुए यह दावा खिलाफ मौका, खिलाफ कानून, नियम विरूद्ध गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है जो दावा मय खर्चा खारिज होने योग्य है। खारिज किया जावे।

इसी अनुसार प्रतिवादी संख्या 15 लगायत 21 द्वारा भी न्यायालय में जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर वादी के वाद पत्र के सभी तथ्य को गलत बताते हुए जवाब दावा पेश किया गया कि वादी द्वारा सम्पूर्ण आराजी को पैतृक विरास्त बताते हुए यह दावा गलत पेश किया गया है जबकि खसरा नम्बर 785/1128, 1013/1123, 1013, 1014, 1112, 785 पैतृक आराजी नहीं है।

सरा नम्बर 785/1128 हम प्रतिवादी संख्या 15 लगायत 21 के पिता रघुवीर सिंह की पैदा कर्दा राजी है। जो हमारे पिता रघुवीर सिंह की खातेदारी की आराजी थी, जो हमे हमारे पिता रघुवीर ह जी की विरासत से प्राप्त हुई है। जिस पर हम प्रतिवादी संख्या 15 लगायत 21 काबिज है। दी का कोई लेना देना नहीं है। इसलिये वादी का वाद मय खर्चा खारिज होने योग्य है। वाद ारिज किया जावे।

तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 22 द्वारा जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना त्र आदेश सहवन नियम 11 जाप्ता दीवानी पेश किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र को प्रतिवादी संख्या 2 के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 11.09.2023 को नोट प्रेस करने पर खारिज किया गया तथा दावे में तिवादी संख्या 1 व 2/1 लगायत 2/5 व 3 लगायत 5 तथा 7 लगायत 10 तथा 11/1 गायत 11/3 व 12 लगायत 24 द्वारा जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर, इकबाल वाब दावा एवं राजीनामा पेश किया गया। पक्षकारान द्वारा पेश राजीनामा को उनके अधिवक्तागण ी पहचान पर तस्दीक किया गया तथा सभी पक्षकारान के ऑर्डर शीट पर हस्ताक्षर करवाये गये। उनकी पहचान उनके अधिवक्तागण द्वारा की गई।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण द्वारा राजीनामा के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाने ा निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया था पक्षकारान द्वारा पेश राजीनामा का गहनता से अध्ययन किया गया। दावा में वर्णित खसरा म्बर 1015, 833, 1013, 1013/1123, 1014 1112 वाके ग्राम कोलीला जोगा तहसील नीमराना ो रीको द्वारा औद्योगिक प्रयोजनार्थ अवाप्त किया जा चुका है जो खसरा नम्बर रीको के नाम से ाल रिकॉर्ड में दर्ज है। लेकिन उक्त खसरा नम्बरान के मुआवजा राशि पक्षकारान द्वारा नहीं उठाई ई है। जिसकी बाबत माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायालय में रेफरेन्स लम्बित है। अब पक्षकरान क्त भूमि के मुआवजा राशि को प्राप्त करने बाबत एवं दावा में वर्णित खसरा नम्बर 712, 713, 16, 717, 718, 719, 691, 538, 537, 155, 638, 710, 728, 539, 72, 786, 785/1128, 785, 83 वाके ग्राम कोलीला जोगा की खातेदारी दर्ज करवाने बाबत राजीनामा पेश किया गया है। जब क्षकारान द्वारा स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर दावा को राजीनामा के आधार पर डिक्री करवाना चाहते है। पक्षकारान के राजीनामा के आधार पर दावा डिक्री किया जाने से वाद ग्रस्त भूमि की बाबत पक्षकारान के मध्य विवाद का स्थाई रूप से हल होगा एवं भविष्य में पक्षकारान के मध्य वाद ग्रस्त भूमि को लेकर कोई विवाद पैदा भी नहीं हो सकेगा एवं आपस में भाईचारा भी बना रहेगा। ऐसी सूरत में जब पत्रावली में पक्षकारान द्वारा राजीनामा ही पेश कर दिया और राजीनामा के आधार पर दावा डिक्री करवाना चाहते है तो उस स्थिति में न्यायालय को प्रकरण के निस्तारण के लिए ओर अधिक साक्ष्य एवं सबूत की आवश्यकता नहीं है। अतः न्यायालय की राय के मुताबिक वाद वादी, जरिये राजीनाम डिक्री होने योग्य है।

।। आदेश ।।

वाद वादी जरिये राजीनामा राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि खसरा नम्बर हाल 712 रकबा 12 एयर, 713 रकबा 21 एयर, 716 रकबा 06 एयर, 717 रकबा 13 एयर, 718 रकबा 05 एयर, 719 रकबा 11 एयर, 691 रकबा 21 एयर, 538 रकबा 07 एयर, 537 रकबा 06 एयर, 155 रकबा 36 एयर, 638 रकबा 26 एयर, 710 रकबा 23 एयर, 728 रकबा 25 एयर, 539 रकबा 05 एयर, 72 रकबा 65 एयर, 786 रकबा 39 एयर वाके ग्राम कोलीला जोगा तहसील नीमराना की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में प्रस्तुत पारिवारिक राजीनामा के मुताबिक प्रतिवादी संख्या 11 लगायत 14 द्वारा हकत्याग किया गया है। इसी अनुसार हाल राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी खसरा गिरदावरीजात में अंकन करने के आदेश दिये जाते है। जो वादी संख्या 1 के हिस्से 1/5 एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 एवं प्रतिवादी संख्या 15 लगायत 24 के अपने समभाग हिस्से अनुसार रहेगा तथा खसरा नम्बर 783 रकबा 03 एयर, 785 रकबा 27 एयर वाके ग्राम कोलीला जोगा तहसील नीमराना पर से प्रतिवादी संख्या 22 का नाम कलमजन किया जाकर पक्षकारान द्वारा पेश राजीनामा के मुताबिक उक्त खसरा नम्बरान 783 व 785 में वादी संख्या 1 को 1/5 हिस्सा खातेदार तथा खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 को 1/20 हिस्से के समभाग खातेदार प्रतिवादी संख्या 2/1 लगायत 2/5 प्रत्येक को 1/100 हिस्से का खातेदार प्रतिवादी संख्या 3 को 1/20 हिस्से का खातेदार प्रतिवादी संख्या 4 को 1/20 हिस्से के समभाग खातेदार

उपखण्ड अधिकारी नीमराना

वादी संख्या 5 को 1/15 हिस्से के समभाग प्रतिवादी संख्या 7 को 1/15 हिस्से के समभाग
वादी संख्या 8, 9, 10 प्रत्येक को 1/45 हिस्से का समभाग खातेदार प्रतिवादी संख्या 15, 16,
18, 19, 20, 21 प्रत्येक को 1/35 हिस्से का खातेदार तथा प्रतिवादी संख्या 22 लगायत 24
क को 1/15 हिस्से अनुसार समभाग खातेदार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार खसरा
र 785/1128 रकबा 30 एयर वाके ग्राम कोलीला जोगा तहसील नीमराना पर से प्रतिवादी
ख्या 15 लगायत 21 का नाम कलमजन किया जाकर पक्षकारान द्वारा पेश राजीनामा के मुताबिक
त खसरा नम्बर में वादी संख्या 1 का 1/5 हिस्से के समभाग खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 को
20 हिस्से के समभाग खातेदार प्रतिवादी संख्या 2/1 लगायत 2/5 प्रत्येक को 1/100 हिस्से
खातेदार प्रतिवादी संख्या 3 को 1/20 हिस्से का खातेदार प्रतिवादी संख्या 4 को 1/20 हिस्से
समभाग खातेदार प्रतिवादी संख्या 5 को 1/15 हिस्से के समभाग प्रतिवादी संख्या 7 को 1/15
से के समभाग खातेदार प्रतिवादी संख्या 8, 9, 10 प्रत्येक को 1/45 हिस्से का समभाग
तेदार प्रतिवादी संख्या 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 प्रत्येक को 1/35 हिस्से का खातेदार
वादी संख्या 22, 23, 24 प्रत्येक को 1/15 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है तथा
अनुसार हाल राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी खसरा गिरदावरीजात में अंकन करने के आदेश दिये
है तथा खसरा नम्बर हाल 1015, 833, 1013, 1013/1123, 1014, 1112 वाके ग्राम कोलीला
ां तहसील नीमराना को रीको द्वारा औद्योगिक प्रयोजनार्थ अवाप्त किया जा चुका है जिसकी
मुआवजा राशि जो विवादित है उसे भी पक्षकारान द्वारा पेश राजीनामा के मुताबिक वादी
या 1 को 1/5 हिस्से की राशि तथा प्रतिवादी संख्या 1 को 1/20 हिस्से की राशि समभाग के
में प्रतिवादी संख्या 2/1 लगायत 2/5 प्रत्येक को 1/100 हिस्से की राशि समभाग के रूप
तिवादी संख्या 3 को 1/20 हिस्से की राशि प्रतिवादी संख्या 4 को 1/20 हिस्से की राशि
भाग के रूप में प्रतिवादी संख्या 5, 7 प्रत्येक को 1/15 हिस्से की समभाग राशि प्रतिवादी
या 8, 9, 10 प्रत्येक को 1/45 हिस्से की समभाग राशि प्रतिवादी संख्या 15, 16, 17, 18, 19,
21 प्रत्येक को 1/35 हिस्से की समभाग राशि प्रतिवादी संख्या 22, 23, 24 प्रत्येक को 1/15
से की राशि समभाग के रूप में प्राप्त करने के अधिकारी होगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर
र से कम हो दफ्तर दाखिल हो। पर्चा डिक्री अलग जारी हो। पारिवारिक समझौते के आधार
प्रस्तुत राजीनामा एवं न्याय के उद्देश्य से निर्णय आज दिनांक 09.12.2023 को लिखाया जाकर
ीनामा की भावना से राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

09-12-2023

पंकज बडगूजर
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
नीमराना
जिला कोटपुतली ...

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)

पीठासीन अधिकारी : श्री [illegible] (आर.ए.एस.)

प्रकरण का नंबर	तारीख रजू	निर्णय दिनांक
[illegible]/2015 (175/2012)	30.04.2015 (20.07.2012)	[illegible]

उनवान

1. [illegible] सिंह पुत्र श्री [illegible] सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कोलीला जोगा तहसील नीमराना हाल निवासी [illegible] शांति कुंज स्कीम, अलवर (राज०)।

वादी।

बनाम

1. [illegible] सिंह पुत्र श्री गोकुल सिंह जाति राजपूत निवासी कोलीला जोगा तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज०।
2. प्रताप सिंह पुत्र श्री गोकुल सिंह जाति राजपूत निवासी कोलीला जोगा तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज०। ______ मृतक

2/1 [illegible] देवी बेवा प्रताप सिंह जाति राजपूत निवासी कोलीला जोगा तहसील नीमराना हाल निवासी मोहल्ला [illegible] पटेल नगर अलवर राज०।

2/2 [illegible] चौहान पुत्र स्व० श्री प्रताप सिंह जाति राजपूत निवासी कोलीला जोगा तहसील नीमराना हाल निवासी मोहल्ला [illegible] पटेल नगर अलवर राज०।

2/3 [illegible] पुत्र स्व० श्री प्रताप सिंह जाति राजपूत निवासी कोलीला जोगा तहसील नीमराना हाल निवासी मोहल्ला [illegible] पटेल नगर अलवर राज०।

2/4 [illegible] चौहान पुत्री स्व० श्री प्रताप सिंह जाति राजपूत निवासी कोलीला जोगा तहसील नीमराना हाल निवासी मोहल्ला [illegible] पटेल नगर अलवर राज०। पत्नी श्री [illegible] [illegible] हाल निवासी [illegible] तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज०।

2/5 [illegible] चौहान पुत्री स्व० श्री प्रताप सिंह जाति राजपूत निवासी कोलीला जोगा तहसील नीमराना हाल निवासी मोहल्ला [illegible] पटेल नगर अलवर राज०। (जायज वारिसान मृतक प्रतिवादी संख्या 2)

3. [illegible] सिंह पुत्र गोकुल सिंह जाति राजपूत निवासी कोलीला जोगा तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज०।
4. [illegible] पुत्री गोकुल सिंह जाति राजपूत निवासी कोलीला जोगा तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज०।
5. [illegible] सिंह पुत्र श्री निरंजन सिंह जाति राजपूत निवासी कोलीला जोगा तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज०। हाल निवासी सी–41 ब्लॉक बी, जीनियस पब्लिक स्कूल के पास, [illegible] टोंक फाटक नगर मालवीय नगर जयपुर राज०।
6. श्रीमती [illegible] कंवर पत्नी श्री निरंजन सिंह जाति राजपूत निवासी कोलीला जोगा तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज०। ______ मृतका
7. [illegible] पुत्री श्री निरंजन सिंह जाति राजपूत निवासी कोलीला जोगा तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज०। पत्नी श्री [illegible] सिंह शेखावत निवासी प्लॉट नं. 9, श्याम विहार कॉलोनी, [illegible] के पास, मालवीय नगर, जयपुर राज०।
8. श्रीमती [illegible] कंवर पत्नी स्व० श्री [illegible] जाति राजपूत निवासी कोलीला जोगा [illegible] पब्लिक स्कूल के पास, [illegible] टोंक फाटक नगर मालवीय नगर जयपुर राज०।

[illegible] औद्योगिक क्षेत्र तहसील नीमराणा को रीको द्वारा औद्योगिक प्रयोजनार्थ अवाप्त किया [illegible] है जिसकी कुल मुआवजा राशि जो निर्धारित है उसे भी पक्षकारान द्वारा पेश [illegible] के मुताबिक वादी संख्या 1 को 1/5 हिस्से की राशि तथा प्रतिवादी संख्या 1 को [illegible] हिस्से की राशि समभाग के रूप में प्रतिवादी संख्या 2/1 लगायत 2/8 प्रत्येक को [illegible] हिस्से की राशि समभाग के रूप में प्रतिवादी संख्या 3 को 1/20 हिस्से की राशि [illegible] संख्या 4 को 1/20 हिस्से की राशि समभाग के रूप में प्रतिवादी संख्या 5, 7 प्रत्येक [illegible] 1/18 हिस्से की समभाग राशि प्रतिवादी संख्या 8, 9, 10 प्रत्येक को 1/45 हिस्से की [illegible] राशि प्रतिवादी संख्या 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 प्रत्येक को 1/35 हिस्से की [illegible] राशि प्रतिवादी संख्या 22, 23, 24 प्रत्येक को 1/15 हिस्से की राशि समभाग के रूप [illegible] करने के अधिकारी होंगे।

[illegible] पर्चा डिक्री आज दिनांक 09.12.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी [illegible] गई।

09-12-2023

पंकज बडगूजर उपखण्ड अधिकारी
(आर.ए.एस.) (कोटपूतली-बहरोड़)
उपखण्ड अधिकारी, नीमराना
जिला कोटपूतली–बहरोड़